

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 945 / 14-1 दिनांक, मेरठ 18, सितम्बर, 2020

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा अपर गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पातन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Road/39999/2019)।

सन्दर्भ:-1-भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/४८१ दिनांक ०७.०१.२०१९

2-आपका पत्रांक 1362/११-सी-FP/UP/Road/39999/2019, दिनांक ०८.०१.२०१९।

3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 778/१४-१ दिनांक १७.०९.२०२०।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक ०७.०१.२०१९ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय निदेशक, गाजियाबाद एवं प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ द्वारा निम्न प्रकार किया गया है:-

गाजियाबाद वन प्रभाग की आख्या:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित है। दोनों वन प्रभाग (गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग) की प्रयुक्त होने वाली वन 0.8156 हे० भूमि के समतुल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/४/ई०ई० जोन-५/२०२० दिनांक २०.०८.२०२० (प्रति संलग्न) से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में ग्रीनबेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में को देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Since the user agency is state Government as recommended by DFO CA to be taken up NOn Forest Land (NFL) instead of degraded forest land Accordingly raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted	0.8156 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों तक के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राक्कलन संलग्न है।

हापुड़ वन प्रभाग की आख्या:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित है। दोनों वन प्रभाग (गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग) की प्रयुक्त होने वाली वन 0.8156 हे० भूमि के समतुल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई० जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 (प्रति संलग्न) से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में ग्रीनबेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में को देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Since the user agency is state Government as recommended by DFO CA to be taken up NOn Forest Land (NFL) instead of degraded forest land Accordingly raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. of NFL shall be submitted	0.8156 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों तक के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राक्कलन संलग्न है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 945 14-1 , दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद एवं हापुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन०के० जानू)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।



संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक: 778 / 14-1 दिनांक हापुड़ 17 सितम्बर, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/४८१, दिनांक ७.०१.२०२० एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक ८९७/१४-१ दिनांक ०४.०९.२०२०।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में गाजियाबाद वन प्रभाग की वाछित अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग से सम्बन्धित हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई०जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 (प्रति संलग्न) से मधुबन बापुधाम आवासीय योजना में ग्रीनबेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि दोनों वन प्रभाग गाजियाबाद एवं हापुड़ वन प्रभाग की प्रयुक्त होने वाली भूमि 0.8156 हे० के समतुल्य गैर वन भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में देने हेतु सहमति प्रदान की गयी हैं। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly rasided CA scheme of plantation on 0-8156 ha. of NFL shall be submitted.	0.8156 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राकलन संलग्न हैं।

18/9/2020
DM
अरुण
u
A

हापुड वन प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैं:-

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compeensatory Afforestation shall be submitted.	विषयक प्रकरण गाजियाबाद एवं हापुड वन प्रभाग से सम्बन्धित हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई0ई0जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 (प्रति संलग्न) से मधुबन बापुधाम आवासीय योजना में ग्रीनबेल्ट हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की आरक्षित 0.8156 हे० भूमि दोनों वन प्रभाग गाजियाबाद एवं हापुड वन प्रभाग की प्रयुक्त होने वाली भूमि 0.8156 हे० के समतुल्य गैर वन भूमि गाजियाबाद वन प्रभाग में देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि के वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly rasided CA scheme of plantation on 0-8156 ha. of NFL shall be submitted.	0.8156 हे० भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित व्यय का प्राकलन संलग्न हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड वन प्रभाग हापुड।

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड वन प्रभाग, हापुड।